भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1038

जिसका उत्तर 08.02.2024 को दिया जाना है

रारा-66 को चौड़ा करना

1038 एडवोकेट ए. एम. आरिफ:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल विशेषकर अरूर-करूनागपल्ली खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-66 को चौड़ा बनाने की प्रगति की समीक्षा की है और यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने जन प्रतिनिधियों द्वारा समर्थित, स्थानीय मांगों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-66 के थुरावुर करूनागपल्ली खंड के डिजाइन में और अधिक अंडरपास शामिल करने का अनुमोदन किया है और यदि हां, तो ऐसे अंडरपास के स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग-66 पर फुटओवर ब्रिजों (एफओबी) का निर्माण करने का है और यदि हां, तो ऐसे एफओबी के स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-66 को चौड़ा करने के दौरान बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए अनेक प्राकृतिक नाले बंद किए जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्थानों पर जलभराव हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) रारा-66 के अरूर - थुरावूर - करूनागपल्ली खंड का विकास 4 पैकेजों में शुरू किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

परियोजना का नाम	वास्तविक प्रगति (प्रतिशत में)	पूरा करने की संशोधित निर्धारित तिथि
ईपीसी मोड पर रारा-**66** के अरूर-थुरावूर खंड के बीच **6-**लेन उत्थापित राजमार्ग	**14.2**	**31.01.2026**
ईपीसी मोड पर रारा-**66** के थुरावूर थेक्कू-परवूर खंड को **6** लेन का बनाना	**19.7**	**12.09.2024**
ईपीसी मोड पर रारा-**66** के परवूर से कोट्टुकुलंगरा खंड को छह लेन का बनाना	**22**	**24.02.2025**
एचएएम मोड पर रारा-**66** के कोट्टुकुलंगरा - कोल्लम बाईपास खंड के प्रारंभ तक को **6** लेन का बनाना	**38**	**08.10.2024**

(ख) और (ग) ब्यौरे अनुबंध पर संलग्न हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग के सतह को यातायात योग्य बनाए रखने के लिए सर्विस रोड के दोनों ओर प्रवाह भार वहन करने वाली नालियों का प्रावधान किया गया है जिसका निकास समीपवर्ती क्रॉस ड्रेनेज जैसेकि पुलिया, नदी, आदि तक है। स्थानीय अधिकारियों को रारा-6 के किनारे बसे हुए क्षेत्र में जल निकासी बनाए रखने का प्रबंधन करना होगा।

अनुबंध

'रारा-66 को चौड़ा करना' के संबंध में एडवोकेट ए. एम. आरिफ **द्वारा दिनांक 08.02.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1038 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

भाग ख) रारा-66 के थुरावूर-करुनागपल्ली खंड में चेंज ऑफ स्कोप (सीओएस) के तहत 12 अतिरिक्त अंडरपास को निम्नानुसार स्वीकृति दी गई है: -

खंड का नाम	एनएचएआई द्वारा सीओएस के तहत संस्वीकृत अतिरिक्त अंडरपास	चैनेज
थुरावूर से परवूर	5 हल्के वाहन अंडरपास (एलवीयूपी)	किमी 386+229, किमी 394+651 किमी 405+682, किमी 407+500, किमी 416+700
परवूर से कोट्टुकुलंगारा	3 हल्के वाहन अंडरपास (एलवीयूपी)	किमी421+40, किमी 439+950, किमी 434+260
कोट्टुकुलंगरा - कोल्लम बाईपास का प्रारंभ	2 वाहन अंडरपास (वीयूपी) और 2 छोटे वाहन अंडरपास (एसवीयूपी)	किमी 481+050, किमी467+845 और किमी 473+370, किमी 455+765

भाग ग) रारा-66 के अरूर-थुरावूर-करुनागपल्ली खंड में निम्नानुसार 46 फुट ओवर ब्रिज का प्रावधान किया गया है:

खंड का नाम	**फुट ओवर ब्रिज की सं.**	**चैनेज**
थुरावूर से परवूर	18	(i) किमी 379+780 (ii) किमी 380+700 (iii) किमी 383+720 (iv) किमी 385+540 (v) किमी 386+430 (vi) किमी 382+530 (vii) किमी 388+108 (viii) किमी 390+000 (ix) किमी 391+280 (x) किमी 393+350 (xi) किमी 394+600 (xii) किमी 401+200 (xiii) किमी 403+110 (xiv) किमी 406+160 (xv) किमी 407+480 (xvi) किमी 409+200 (xvii) किमी 414+200 (xviii) किमी 415+380.
परवूर से कोट्टुकुलंगारा	16	(i) किमी 417+740 (ii) किमी 419+690 (iii) किमी 420+750 (iv) किमी 421+360 (v) किमी 422+767 (vi) किमी 426+027 (vii) किमी 427+500 (viii) किमी 431+300 (ix) किमी 434+435 (x) किमी 435+635 (xi) किमी 437+740 (xii) किमी 441+440 (xiii) किमी 444+775 (xiv) किमी 448+600 (xv) किमी 451+390 (xvi) किमी 452+840
कोट्टुकुलंगरा - कोल्लम बाईपास का प्रारंभ	12	(i) किमी 454+900 (ii) किमी 455+640 (iii) किमी 457+000 (iv) किमी 457+680 (v) किमी 459+900 (vi) किमी 466+050 (vii) किमी 469+360 (viii) किमी 472+387 (ix) किमी 475+556 (x) किमी 477+887 (xi) किमी 483+257 (xii) किमी 485+932

*****